

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन संख्या 01/2013, सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा, 2012

गृह विभाग, अभियोजन निदेशालय, बिहार के अन्तर्गत सहायक अभियोजन पदाधिकारी, वेतनमान पी.बी.-2 9300-34800/- + ग्रेड पे 4800/-के कुल 80 (अस्सी) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों (पुरुष एवं महिला) से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन 80 (अस्सी) पदों में से अनारक्षित को 40 (चालीस), अनुसूचित जाति को 12 (बारह), अनुसूचित जनजाति को 01 (एक), अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 (पन्द्रह), पिछड़ा वर्ग को 09 (नौ) एवं पिछड़े वर्ग की महिला को 03 (तीन) पद अनुमान्य है। इन अनुमान्य पदों में से विकलांगों को भी नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

(i) शैक्षिक योग्यता :- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक।

(ii) उम्र सीमा:- दिनांक 01.08.2012 को अधिकतम,

- (1) अनारक्षित पुरुष - 37 वर्ष
- (2) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) - 40 वर्ष
- (3) अनारक्षित महिला - 40 वर्ष
- (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 2374, दिनांक- 16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार क संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक - 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों का उम्र सीमा में 03(तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(iii) चयन की प्रक्रिया :- नियुक्ति हेतु चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

(अ) लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है:-
परीक्षा के अनिवार्य विषय

क्र. सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं के साथ) (General Knowledge including current affairs) :- (i) भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति (ii) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र (iii) भारतीय अर्थव्यवस्था (iv) भारत का भूगोल	01	30 40 40 40 कुल-150
2.	प्रारंभिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science) :- (i) भौतिक विज्ञान (ii) रसायन विज्ञान (iii) प्राणि विज्ञान (iv) वनस्पति विज्ञान प्रश्न मैट्रिक स्तर का होगा।	02	25 25 25 25 कुल-100
3.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	03	100
4.	सामान्य अंग्रेजी (General English)	04	100
5.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)	05	150

सामान्य हिन्दी में 30 अंक और सामान्य अंग्रेजी में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायी होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यताप्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।
परीक्षा के ऐच्छिक विषय

उम्मीदवारों को निम्नांकित पाँच विषयों में से किन्हीं तीन विषयों को चुनने की स्वतंत्रता होगी :-

क्र.सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
6.	भारत और इंग्लैंड की संवैधानिक विधि (Constitutional Law of India & England)	06	150
7.	हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Mohamadan Law)	07	150
8.	संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principle of Equity), न्याय विधि-विशिष्ट और अनतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित	08	150

9.	संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)	09	150
10.	वाणिज्य विधि (Commercial Law)	10	150

(ब) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जायेगा।

साक्षात्कार हेतु वैसे ही उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जो सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर शेष अन्य विषयों में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 15838, दिनांक 22.12.1990 एवं पत्रांक - 6706, दिनांक - 01.10.2008 द्वारा विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिये लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक, यथा; सामान्य श्रेणी - 40%, पिछड़ा वर्ग - 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 34% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवार - 32% अंक, प्राप्त करेंगे।

(लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।)

(स) गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार की अधिसूचना सं-6375, दिनांक 06.08.2010 में निहित प्राक्धान के आलोक में रिक्ति के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में आयोग को आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, लिखित परीक्षा दो चरणों में अर्थात् (क) प्रारंभिक परीक्षा एवं (ख) मुख्य परीक्षा, आयोजित की जायेगी। प्रारंभिक परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे -

प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो 100 अंकों का होगा एवं द्वितीय प्रश्न पत्र विधि का होगा, जो 150 अंकों का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय पर आधारित होगा, जिसमें से एक सही उत्तर होगा। इस परीक्षा में ओ.एम.आर. (OMR) उत्तर पत्रकों का प्रयोग किया जायेगा एवं इसकी जांच कम्प्यूटर से आयोग कार्यालय में की जायेगी। उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की पाठ्यक्रम सूची वही होगी जो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवम् विधि के प्रश्न पत्रों के लिये विहित है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवम् विधि के विषय निम्नांकित हैं:-

सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित विषय :-

1. सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित)

2. प्रारंभिक सामान्य विज्ञान

विधि से सम्बन्धित विषय :-

1. साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (ला ऑफ एविडेन्स एण्ड प्रोसिड्योर)

2. भारत और इंग्लैंड की संवैधानिक विधि (कन्स्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया एण्ड इंग्लैंड)

3. हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (हिन्दू लॉ एण्ड मुस्लिम लॉ)

4. संपत्ति अंतरण विधि (लॉ ऑफ ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी) और साम्य सिद्धान्त (प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी) न्याय विधि - विशिष्ट और अनतोष (लॉ ऑफ ट्रस्ट एण्ड स्पेसिफिक रिलीफ) सहित

5. संविदा और अपकृत्य विधि (लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एण्ड टॉर्ट्स)

6. वाणिज्य विधि (कॉमर्शियल लॉ)

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्रविष्टि:

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210×297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(iii) आवेदन पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे

1. आवेदन की कड़िका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा: सिन्घा, इस प्रकार भरा जाय -

रि	न	ग	धा	
----	---	---	----	--

2. हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें। आवेदन की कड़िका 2(iii) यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।

4. आवेदन की कड़िका 2(iv) यदि हों, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनु. जाति के लिये 02, अनु. जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।

5. आवेदन की कड़िका 4(i) भाषेत्तर विषय का उत्तर किस भाषा में देना चाहते हैं, में हिन्दी के लिये 1 भरें एवं अंग्रेजी के लिये 2 भरें।

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।

(v) क्रमांक 9 "शैक्षिक योग्यता" के अधीन 'प्राप्तांक' एवं प्रतिशत 'पूर्णांक'

के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 12 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक् कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 13 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (x) कर दें।

2. फोटोग्राफ:

आवेदन पत्र के पृ. 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही निगेटिव से बना होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

3. लिफाफा:

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं. एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

(ii) विहित आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र, स्नातक विधि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ) एवम् विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।

(iii) 16x10 से.मी. का स्वपता लिखित तीन लिफाफा (अनुक्रमांक एवं प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिसपर 25-25 रुपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

4. आरक्षण:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति-सह-क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति-सह-क्रीमीलेयर में नहीं आने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।

5. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 75/- (पचहत्तर) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 125/- (एक सौ पचीस) रुपये तथा अन्य के लिए 300/- (तीन सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 350/- (तीन सौ पचास) रुपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाईट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।

6. अन्य:

अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा।

7. अंतिम तिथि:

(i) भरा हुआ आवेदन केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि शुक्रवार, दिनांक 08.03.2013 को 5.00 बजे अपराह्न तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।